


को ममावत रहतना उन्हीन मुतीत होना है
 ताकि पत्रकारों के गलत विवाद आगे आने
 नहीं दते ताकि प्रकटा को मीलतावा करने
 में बाधनी चेकी दीगिया की नहीं दते। उमम-
 पत्र आधीयवा की रजगाने ममावत रहते 92
 कोहना है। चेकी रहत में अमी का आवेदन
 रकीफार योग्य है। गरीहवा लगी का आवेदन
 रकीफार कीमा बाकर न्यायापद हाया हरा।
 पारी रजगान आदेश विवाद 03.2.2023 को
 रूलवा के निर्णय तक उमम-पत्र को पावद
 करते हुए रजगान आदेश कतपर्न कीमा
 जाता है।

पत्रावली केवल मुदा हीन डाखील
 रहता है।


 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

15-10-2024

मिजिलरि / मुद्रा / प्रकटा के लिये
 मिजिलरि / मुद्रा / प्रकटा के लिये
 मिजिलरि / मुद्रा / प्रकटा के लिये